**सीएनआर नं.यूपीबीडी50020152019 रजि.54/2019**

23.04.2019

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त रविशंकर विश्वकर्मा पुत्र मइयादीन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 55/2019 अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना पैलानी के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। वह न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत देने को तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कहा कि अपराध गैरजमानती है अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

सुना एंव प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से एक एक अदअ तमंचा 315 बोर व एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद होना बताया गया है। अभियुक्त दिनांक–22.4.2019 से जेल में निरूद्ध है। मामले के तथ्यों एंव अपराध की प्रकृति को देखते हुये जमानत के आधार पर्याप्त प्रतीत होते हैं, तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त रविशंकर विश्वकर्मा स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु020 हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एंव इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

सिविल जज(सी0डि0)/ए.सी.जे.एम.बांदा।